<u>बिहार विधान सभा सचिवालय</u>

<u>अल्पकालीन निविदा आमंत्रण</u>

<u>NIT NO-02/2022</u>

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा न्यूनतम 50 पृष्ठों की एक त्रैमासिक पत्रिका जिसकी न्यूनतम 1000 (एक हजार) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मो से प्रति पत्रिका न्यूनतम दर के साथ निविदायें दिनांक-04. 02. 2022 को 3:00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथानिर्धारित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है । सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-07. 02. 2022 को 3. 30 बजे अपराह्न में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहें । पत्रिका के चयनित नमूना (साइज़, कागज की गुणवता, मुद्रण आदि) का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी कार्य दिवस में उप निदेशक (पुस्तकालय) से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा एवं निविदा से संबंधित निर्धारित शर्ते बिहार विधान सभा के वेबसाईट www. vidhansabha. bih. nic. in पर द्रष्टव्य है ।

<u>निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें</u>

1. फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा PAN देना अनिवार्य है ।

2. निविदा के साथ रुपये 50,000/- (रु० पचास हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा, जो 'सचिव, बिहार विधान सभा' के नाम से Payable at Patna के रूप में जमा करना होगा । (निविदा अस्वीकृत होने पर ड्राफ्ट लौटा दिया जाएगा ।)

3. भाग लेने के इच्छुक मुद्रक पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20, एवं 2020-21) की आयकर विवरणी (Income Tax Return Details) संलग्न करें ।

4. निविदादाता को GST से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि जब से GST लागू हुई है (जुलाई, 2017) संलग्न करना होगा । साथ ही, प्रथम GST रिटर्न तथा नवीनतम GST रिटर्न की प्रतिलिपि भी संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. निविदादाता की पिछले तीन वर्षों की कुल सालाना औसत बिक्री के प्रमाण के लिए पिछले तीन वर्षों के Profit and Loss और Balance Sheet C. A. द्वारा अनुमोदित करवा कर संलग्न करना अनिवार्य है ।

6. निविदादाताओं को निविदा के साथ कागज, कवर का नमूना (फर्म की मुहर, हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कवर पर फर्म का नाम, पता, दूरभाष एवं मोबाईल नंबर अंकित करना आवश्यक है ।

7. फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य है ।

8. पत्रिका का साईज- 27 से . मी. x 19.5 से . मी. का होगा । इसके सभी पृष्ठ रंगीन होंगे ।

9. पत्रिका मुद्रण से संबंधित मूल दस्तावेज मुद्रण के पश्चात सभा सचिवालय को मूल रूप में वापस कर देना होगा तथा इसका किसी भी रूप में अन्यत्र उपयोग नहीं करना होगा ।

10. चयनित फर्म को स्वीकृत दर पर अगले 3 वर्ष तक मांग के आधार पर पत्रिका की आपूर्ति करनी होगी ।

11. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप पत्रिका का मुद्रण नहीं होने तथा समय पर आपूर्त्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा ।

12. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Similar nature of work) का अनुभव होना चाहिए । निविदा के साथ नमूना एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न होनी चाहिए ।

13. निविदा के साथ जमा किये गये सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्ठ संख्यांकित होने चाहिए।

14. निविदा को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित होगा ।

15. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

16. बिहार राज्य अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में सरकारी / अर्धसरकारी विभाग से कम-से-कम 10 लाख रुपये का पत्रिका/पुस्तक आपूर्ति का अनुभव हो । (आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।)

(क) वित्तीय निविदा की शर्तें:

वित्तीय निविदा में पत्रिका का आकार - 27 से . मी. x 19.5 होगा जिसमें पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 50 होगी तथा सभी पृष्ठ रंगीन होंगे । पत्रिका में कागज एवं कवर की गुणवत्ता उच्च कोटि के स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगी जिसमें प्रति पत्रिका जी० एस० टी० सहित 1000 प्रतियों के लिए दर अंकित करना होगा ।

प्रतियों का विवरण:

भाषा	संख्या	प्रति कॉपी	कुल लागत
हिंदी	1000		

(ख) सामान्य शर्तें:

1. निविदादाता का पिछले 5 वर्षों से बिहार में कार्यालय होना अनिवार्य है ।

2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी ।

3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने बाबत नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा ।

4. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य है ।

5. विभाग द्वारा पत्रिका के फायनल प्रूफ अनुमोदित होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर निविदादाता को पत्रिकाओं की आपूर्ति करनी होगी ।

6. आपूर्ति करने के पश्चात् गुणवत्ता का मिलान करने के बाद बिल का भुगतान किया जाएगा ।

7. किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है ।

8. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र पटना ही होगा ।

सुजाता मिश्रा
उप निदेशक,
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय ।